

नदान विपजति है।

अधिकार की विशेषताएँ — सर्वप्रथम, अधिकार व्यक्तिगत व्यक्ति समुदाय की मांग है। व्यक्ति के विकास हेतु कुछ अधिकार आवश्यक होती हैं, जिसकी पूर्ति पर ही उसका विकास निर्भर करता है। उन सुविधाओं की मांग समाज द्वारा स्वीकृत होकर अधिकार बन जाता है।

इससे, कोई भी मानव अधिकार, जबतक उसको समाज की स्वीकृति नहीं प्राप्त होती तबतक वह अधिकार का रूप नहीं धारण कर सकता।

तीसरे, समानता के अभाव में अधिकार का कोई मूल्य या महत्व नहीं होता।

चौथे, अधिकार की मांग नैतिकता और सदाचरण पर आधारित होना चाहिए। जैसे जीवन का अधिकार, भाषण देने का अधिकार, और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आदि। साथ ही मध्यपान, आत्महत्या, अभिचार जैसे अनैतिक मांगों को अधिकार का रूप नहीं दिया जा सकता है।

पांचवें, उन मांगों को ही अधिकार के रूप में मान्यता दी जाती है जो सामाजिक हित के अनुरूप हों।

दो, राज्य अधिकारों का निर्माण नहीं करना बल्कि समाज द्वारा स्वीकृत मांगों को ही अधिकारों को वैधानिक मान्यता प्रदान करता है तथा उसकी रक्षा करता है।

सातवें, मानव की आवश्यकता के अनुरूप अधिकारों का स्वरूप भी बदलता रहता है।

आठवें, असीमित अधिकार संभव नहीं हैं। मनुष्य को केवल वही कार्य करने का अधिकार दिया जा सकता है जिससे दूसरे के उसी प्रकार के अधिकार में कोई बाधा न आये।

डा. श्याम शंकर, राजा सिंह महाविद्यालय

डा. श्याम शकर, राजा सिंह महाविद्यालय

नौ, अधिकार और कर्तव्य में अन्योन्यात्म सम्बन्ध है। एक व्यक्ति का अधिकार दूसरे के कर्तव्य पर निर्भर करता है।
जैसे - हमें यदि भाषण देने का अधिकार है तो वह दूसरे व्यक्ति के इस कर्तव्य पर निर्भर करता है कि वह भाषण देने के कार्य में कोई बाधा न रखेगा।

अधिकार के तत्व -

अधिकार की परिभाषा, अर्थ, विशेषताएँ या लक्षणों का अध्ययन करने पर यह स्पष्ट होता है कि अधिकार का प्रथम तत्व व्यक्ति द्वारा समाज के समुदाय उपस्थित दावा है। व्यक्ति द्वारा किया गया सभी दावा अधिकार नहीं बन जाता बल्कि जैसे-दावे जिनमें सभी लोगों का हित सम्मिलित हो एवं जिसे सर्व व्यापक रूप से लागू किया जा सके। इन्हें सामाजिक हित से निरन्तरसंगत भी होना चाहिए। दूसरा तत्व है जैसे दावे जिसे सामाजिक स्वीकृति प्राप्त हो। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण तत्व है कि कोई अधिकार तभी अधिकार बन सकता है जब उसे राज्य की मान्यता प्रदान की जाए। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि राज्य, समाज द्वारा मान्यता प्राप्त अधिकारों को वैध अधिकार प्रदान करता है।